@Qpatrika | @qaumipatrika hindi | instagram.com/qaumipatrika

कौमी पत्रिका
राष्ट्रीय दैनिक अखबार

दिल्ली-हरियाणा-पंजाब-चण्डीगढ़-उत्तर प्रदेश से प्रसारित
गुरूवार, 24 सितंम्बर 2026

VISIT: www.qaumipatrika.in
Email: qpatrika@gmail.com

R.N.I. No. UP-HIN/2007/21472 सम्पादक - गुरचरन सिंह बब्बर वर्ष 19 अंक 321 qaumipatrikahindi 011-41509689, 23315814, 9312262300 गाजियाबाद संवत् 2077-78, पेज (12) मूल्य 3.00 रुपये (हवाई शुल्क 50 पैसे अतिरिक्त)

'हम संवैधानिक दायरे में कर रहे हैं काम'

● सर्वसम्मति से हो रहे सभी फैसले : चुनाव आयोग

एजेंसी
नई दिल्ली । भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को प्रेस नोट जारी कर अपना पक्ष रखा है। आयोग ने कहा है कि वह पूरी तरह से संवैधानिक जनादेश और वैधानिक नियमों के तहत काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने अपने प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/119/2026 में कहा, 'भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो संविधान के अनुच्छेद 324, वैधानिक नियमों और स्थापित संस्थागत परंपराओं के सख्त जनादेश के तहत कार्य करता है। आयोग एक बहु-सदस्यीय संवैधानिक निकाय के रूप में संचालित होता है।' आयोग ने कहा कि लिखित नोट्स, टिप्पणियां, तकनीकी सुझाव और आंतरिक संतुलन एवं नियंत्रणपूर्ण पारदर्शिता, कानूनी अनुपालन और परिचालन कठोरता सुनिश्चित करने के लिए मानक प्रक्रियाएं हैं। आयोग के सभी कार्य कानूनों और निर्देशों के अनुसार हुए हैं।

ईसीआई ने स्पष्ट किया कि उसके द्वारा जारी सभी आधिकारिक आदेशों, निर्णयों और प्रशासनिक निर्देशों को पूर्ण कानूनी स्वीकृति प्राप्त है और वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 के तहत स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। आयोग ने कहा कि ड्राफ्ट चरणों के दौरान सदस्यों द्वारा उठाए गए परिचालन

आयोग ने स्पष्ट किया कि वह पूर्ण निष्ठा के साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

संबंधी प्रश्न मानक प्रशासनिक प्रथा का हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। आयोग ने कहा, 'किसी भी संस्थान में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग विचार और टिप्पणियां सामान्य बात है। वे अंतिम निर्णय से पहले की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। न केवल तीनों आयुक्त बल्कि आयोग का प्रत्येक अधिकारी मतदाता प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए अधिकृत है।' आयोग ने कहा कि 10 महीने की अवधि की कुछ आंतरिक टिप्पणियों को उजागर कर एकतरफा तस्वीर पेश की जा रही है। हाल के

महीनों में आयोग ने लगभग 40 नई पहल शुरू की हैं और एसआईआर सहित मतदाता सूची संशोधन जैसे कई चुनावी सुधार किए हैं। ये सभी निर्णय पूर्ण आयोग के सर्वसम्मत निर्णय हैं।आयोग ने बताया कि इस अवधि में बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में प्रमुख चुनावों का सफल संचालन किया गया है। डेटा सुरक्षा और वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोपों पर आयोग ने कहा कि ईसीआईनेट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं ताकि अनधिकृत छेड़छाड़ रोकी जा सके। ईआरओ (निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी) और डीईओ (जिला निर्वाचन अधिकारी) जैसे अधिकारी कानून के तहत ही पंजीकरण और नाम हटाने की वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

राहुल गांधी ने एसआईआर विवाद के बीच चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा-समय आएगा, हम आपको नहीं बख्शेंगे

नई दिल्ली। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चल रहे विवाद के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) और चुनाव अधिकारियों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि 'समय आएगा, हम आपको बख्शेंगे नहीं।' सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने कहा, 'वोट की चोरी भारत के लोगों के खिलाफ एक अपराध है और हमारे संविधान पर सीधा हमला है। इसे अंजाम देने वाले भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग ने देशद्रोह का काम किया है। इंसाफ जरूर होगा।' गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा, 'मैं चुनाव आयोग और चुनाव अधिकारियों से साफ कह रहा हूं। आप जो कर रहे हैं, वह गलत है।' उन्होंने कहा, 'यह देशद्रोह है। समय आएगा! हम आपको पकड़ेंगे, आप बच नहीं पाएंगे।' यह ताजा विवाद एक प्रमुख अखबार की रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 10 महीनों के दौरान 14 मौकों पर दो चुनाव आयुक्तों ने आयोग के फैसलों पर आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट के अनुसार, ये आपत्तियां कई तरह के फैसलों और प्रक्रियाओं से जुड़ी थीं। इनमें यह आरोप भी शामिल था कि नए वोटरों को जोड़ने और वोटर लिस्ट से नाम हटाने से जुड़े कुछ मामलों और मुद्दों के बारे में आयुक्तों को अंधेरे में रखा गया था।

चुनाव आयोग के बचाव में भाजपा: अपनी हार-जीत बताई

● आयुक्तों को यूपीए सरकार में मिले पुरस्कारों की संख्या गिनाई

एजेंसी
नई दिल्ली । चुनाव आयोग के भीतर कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इसकी शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच रिपोर्ट से हुई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार आयोग के कुछ फैसलों और आदेशों पर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई। इनमें से चार आपत्तियां एक ही दिन दर्ज की गई थीं। अब भाजपा ने चुनाव आयोग का बचाव किया है।

संबित पात्रा ने क्या-क्या कहा?

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि अगर देश में चुनाव कराने वाले तीनों चुनाव आयुक्त आपस में बातचीत नहीं करते, विचारों का आदान-प्रदान नहीं करते, सलाह नहीं करते और केवल एक-दूसरे से सहमत होते रहते हैं तो विपक्षी दल कहते हैं - 'यह तानाशाही' है। वे कहते हैं, 'इस सरकार ने इन तीनों को नियुक्त किया है और ये हर बात पर हां कह देते हैं, ये सभी मोदी के समर्थक हैं।'

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि चुनाव आयोग पर विपक्ष ने सुबह से वार किया है। हमारी सांविधानिक संस्थाओं पर विपक्ष हमले करता है। उन्होंने कहा कि 2014 से ही विपक्ष धराशायी हो

गया है। संबित पात्रा ने कहा कि विचारों का आदान-प्रदान लोकतांत्र की निशानी है। एसआईआर पर सभी की एक राय थी। संबित पात्रा ने कहा, 'जब से मोदी की सरकार बनी है, तब से विपक्षी पार्टी लगातार धराशाई होती रहीं। जनता के द्वारा नकारे जाने और लोकतांत्रिक तरीके से लगातार हारने के बाद इनकी कोशिश सांविधानिक संस्थानों पर हमले करने की है। इसी के चलते आज इन्होंने चुनाव आयोग पर हमला किया है।'

संक्षिप्त समाचार

राम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

एजेंसी
अयोध्या। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच पूरी होने के बाद बुधवार को पुलिस ने आठ आरोपितों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पुलिस ने करीब 74 हजार पन्नों की चार्जशीट पेश की है। पुलिस चार बक्सा और एक गत्ते में पैक चार्जशीट लेकर अदालत पहुंची। अभियोजन का आधार जांच में सामने आए सीसीटीवी फुटेज, आरोपितों के बयान, बरामदगी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को बनाया गया है। मामले के विवेचक क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि 27 अप्रैल से पांच जून के बीच चढ़ावे की रकम को कथित तौर पर निकालने या छिपाने से जुड़ी 105 से ज्यादा घटनाएं सीसीटीवी में सामने आई हैं। इन फुटेज को आरोपितों की गतिविधियों और अन्य साक्ष्यों से मिलाकर विवेचना की गई है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार सभी आठ आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं।

भाजपा ने राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारियों की नियुक्ति की

एजेंसी
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नयी महासचिव स्मृति ईरानी को हरियाणा एवं दादरा नगर हवेली, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश, सतीश पूनिया को पंजाब एवं जम्मू कश्मीर तथा विप्लब देव को मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी ने अगस्त में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति के एक माह बाद राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के नये प्रभारियों एवं सह-प्रभारियों की बुधवार को घोषणा की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा अनुमोदित इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने यहां एक विज्ञप्ति में यह सूची जारी की जिसके अनुसार, दिल्ली का प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे को बनाया गया है, जबकि जामयांग त्सेरिंग नामग्याल और दर्शना बेन जरदोश को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। गुजरात का प्रभारी तरुण चुघ और सह प्रभारी अजय महावर तथा गोमती साई होंगी। हरियाणा में स्मृति ईरानी को प्रभारी तथा भोला सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभार्थी बच्चों को लैपटॉप वितरित किये

कौमी पत्रिका
लखनऊ, 23 सितम्बर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि घरेलू हिंसा की शिकार महिला, घर से बिछड़ी बेटी, बहन या माता अथवा किसी निराश्रित महिला के लिए राजकीय महिला शरणालय सहारा बनेगा। सरकार ऐसे लोगों का सहारा बनती है और उनके वैधानिक अभिभावकों से मिलाने का प्रयास करती है। आवश्यक कानूनी सहयोग उपलब्ध कराने के साथ ही, सरकार उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़कर आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है। मुख्यमंत्री जी आज जनपद गोरखपुर में महिलाओं/संवासिनियों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक सुविधाओं वाले राजकीय महिला शरणालय के लोकार्पण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 'उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के लाभार्थी बच्चों को लैपटॉप वितरित किये। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गोरखपुर में 100 बेड का महिला शरणालय बनकर तैयार हो जाने से किसी कारणवश घर छोड़कर निकलने वाली बेटी, घरेलू हिंसा की शिकार अथवा किसी अन्य निराश्रित महिला को अब भटकना नहीं पड़ेगा। गोरखपुर मण्डल का यह महिला शरणालय ऐसी महिलाओं के लिए व्यवस्थित रूप से संचालित होगा। आधी आबादी को सम्मान और सुरक्षा मिले तथा वह स्वावलम्बन के पथ पर आगे ब?कर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में सहभागी बने, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बिना रुके, बिना डिगे और बिना झुके निरन्तर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिला कल्याण के क्षेत्र में सरकार ने

बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा, विवाह, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और जीवन के विभिन्न चरणों तक सहायता की व्यवस्था की है। बेटी के जन्म पर 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' के माध्यम से परिवार को सहायता मिलती है। 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' के अन्तर्गत बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपये धनराशि का पैकेज उपलब्ध कराया जा रहा है। बेटी के विवाह योग्य होने पर 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के अन्तर्गत 01 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है। यदि किसी महिला के सामने निराश्रित होने का संकट हो, किसी को सहारे की आवश्यकता हो अथवा बुजुर्ग अवस्था में कोई आर्थिक संकट उत्पन्न हो, तो उसे वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जा रही है।

शेष पृष्ठ 3 पर

बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक बने ईशान आनंद

● मायावती ने छोटे भतीजे को दी पार्टी की अहम जिम्मेदारी

एजेंसी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपने छोटे भतीजे ईशान आनंद को बड़ा प्रमोशन दिया है। मायावती ने ईशान को BSP का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बड़ी बैठक में ईशान आनंद को लेकर बड़ा

फैसला लिया गया है। बता दें कि बैठक में कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे। इसके अलावा 45 प्रत्याशी भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं।

आकाश आनंद को किया था पार्टी से बाहर

बता दें कि इसी महीने मायावती ने ईशान आनंद के बड़े भाई आकाश आनंद को पार्टी बाहर कर दिया था। लंदन से पढ़ाई करके आए ईशान आनंद पिछले साल से राजनीति में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी ने यह बड़ा कदम उठाया है। ईशान आनंदन मायावती के भाई और बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार के छोटे बेटे हैं।

आयुष्मान भारत एक मजबूत राष्ट्र के विजन के साथ आगे बढ़ रहा : नितिन नवीन

एजेंसी
नई दिल्ली । भारत सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के आठ साल पूरे होने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि यह योजना स्वस्थ नागरिक और एक मजबूत राष्ट्र के विजन के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने नागरिकों के लिए हेल्थकेयर सुरक्षा को आसान बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में 48.51 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है और 13.25 करोड़ मामलों के लिए 2.03 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत का सफर 8 साल पहले शुरू हुआ था, उसने देशभर के नागरिकों के लिए हेल्थकेयर सुरक्षा को और ज्यादा आसान बनाने की दिशा में एक नया अध्याय शुरू किया है।

उन्होंने बताया कि 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के जरिए सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को सालाना 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिल रहा है।

'पटना हाईकोर्ट बोला-सलवार उतारना रेप की कोशिश नहीं'

सुप्रीमक कोर्ट नाराज: सीजेआई बोले-
बयान आपत्तिजनक, फैसला खारिज हो सकता है

एजेंसी
पटना/नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को खारिज कर सकता है, जिसमें पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि सलवार उतारना रेप की कोशिश नहीं। सीजेआइ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच इस आदेश पर खुद ही सुनवाई कर रही थी।

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के इस फैसले में कुछ कमेंट्स आपत्तिजनक हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी का पक्ष सुनने के बाद इसे खारिज भी किया जा सकता है। सीजेआई सूर्यकांत ने बिहार के एडवोकेट जनरल एसडी संजय से कहा कि स्थानीय पुलिस के जरिए आरोपी को नोटिस भेजा जाए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐसा ही फैसला रद्द किया था

सुप्रीम कोर्ट को जुलाई में पटना हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी गई, तब स्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐसे ही आदेश पर सुनवाई कर रहा था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था- नाबालिग की छाती दबाना, पायजामे का नाड़ा तोड़ना रेप की कोशिश नहीं है। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 14 जुलाई को वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पटना हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया था। इसके बावजूद पटना हाईकोर्ट ने उसी तरह की टिप्पणियां करते हुए आदेश दिया।

● हाईकोर्ट ने 9 जुलाई को पटना सुनाया था फैसला

पटना हाईकोर्ट ने 9 जुलाई को अपने फैसले में कहा था कि महिला की सलवार उतारने की कोशिश और उसके सीने को दबाने की घटना को बलात्कार का प्रयास नहीं माना जा सकता। खासकर तब, जब शारीरिक संबंध बनाने का कोई सबूत न हो और बलात्कार के इरादे का कोई कृत्य सामने न आए। हाईकोर्ट ने कहा था कि महिला की गरिमा भंग करने का अपराध बनता है, लेकिन रेप की कोशिश का अपराध साबित नहीं होता। फैसले के बाद आरोपी को बरी कर दिया गया।

पीएम मोदी की कार्यशैली में 'इनोवेशन लैब' की तरह काम करती है सरकार

● प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ 'चिंतन शिविर' आयोजित किया

एजेंसी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ 'चिंतन शिविर' आयोजित किया। इस मौके पर एक्स अकाउंट 'मोदी स्टोरी' ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने शासन-प्रशासन के कामकाज के तरीके में कई ऐसे प्रयोग किए हैं, जिन्होंने सरकारी व्यवस्था को नई दिशा दी है। मोदी स्टोरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, 'सुना है कि आज प्रधानमंत्री मोदी अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ चिंतन शिविर कर रहे हैं? वर्षों से उन्होंने सरकार के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है और अक्सर शासन को एक 'इनोवेशन लैब' की तरह देखा है।'

पोस्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसे प्रयोग शुरू किए, जिनमें कुछ बेहद सरल हैं तो कुछ दूरगामी प्रभाव वाले। इनमें से एक पहल 'अनुभव' है, जिसके तहत सेवानिवृत्त होने वाले वरिष्ठ अधिकारी अपनी सेवा के दौरान हासिल अनुभवों और सीख को दस्तावेज के रूप में दर्ज करते हैं, ताकि अगली पीढ़ी के अधिकारी उससे लाभ उठा सकें।

मोदी स्टोरी ने 'स्वतः सुखाय' पहल का भी उल्लेख किया। इसके तहत अधिकारी अपने विभाग से अलग किसी सार्वजनिक हित के प्रोजेक्ट पर स्वेच्छा से काम करते हैं, जिससे उन्हें समाज के लिए योगदान देने का संतोष मिलता है।

पोस्ट के अनुसार 'बैक टू द फर्स्ट पोस्टिंग' पहल में वरिष्ठ अधिकारियों को अपने प्रशासनिक करियर की पहली तैनाती वाले जिले या तालुका में वर्षों बाद वापस जाकर यह देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वहां कितना विकास हुआ है।इसके अलावा 'असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम' का भी जिक्र किया गया, जिसके तहत नए नियुक्त आईएएस अधिकारियों को पहली फील्ड पोस्टिंग से पहले तीन महीने तक केंद्र सरकार के मंत्रालयों में काम करने का अवसर दिया जाता है, ताकि वे केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली को करीब से समझ सकें। पोस्ट में 'वन सेक्रेटरी, वन तालुका' पहल को भी रेखांकित किया गया। इसके तहत वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को पिछड़े तालुकों की जिम्मेदारी दी जाती है।